

जी एफ़ आर-22/GFR-22

(कृपया नियम 207 देखें /See Rule 207)

मोटर वाहन की खरीद के लिए अग्रिम आहरित करने से पूर्व निष्पादित किए जाने वाले करार का प्रपत्र

Form of Agreement to be executed before drawing an advance for the purchase of a Motor Vehicle.

यह करार वर्ष दो हजार _____ के _____ माह की _____ तारीख को एक ओर _____ (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उधारकर्ता' कहा गया है, और इस अभिव्यक्ति में उसके वारिस, प्रशासक, निष्पादक तथा कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे) तथा दूसरी ओर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात 'प्राधिकरण' कहा गया है और इस अभिव्यक्ति में इसके अध्यक्ष, सदस्य, कार्यपालक निदेशक गण तथा उनके उत्तराधिकारी एवं समनुदेशिनी शामिल होंगे) के बीच सम्पन्न किया गया है।

This agreement made on _____ day of _____ two thousand _____ BETWEEN _____ (hereinafter called the "Borrower" which expression shall include his heirs, administrators, executors and legal representations) of the one part and the Airports Authority of India (hereinafter called the "Authority", which expression shall include its Chairman, Members, EDs or their successors and assignees) of the other part.

जबकि उधारकर्ता ने सामान्य वित्तीय नियमावली, 1963 (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त नियमों' के रूप में अभिनिर्देशित किया गया है और इस अभिव्यक्ति में कुछ समय के लिए लागू कोई संशोधन भी शामिल है) के प्रावधानों के अंतर्गत _____ की खरीद के लिए _____ रु. (_____ रु. मात्र) के ऋण हेतु प्राधिकरण के पास आवेदन किया है और जबकि प्राधिकरण नियमों में शामिल निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उधारकर्ता को उक्त धनराशि ऋण के रूप में देने के लिए सहमत हो गया है, अब एतद्वारा दोनों पक्षों में यह सहमति बन गई है कि प्राधिकरण द्वारा उधारकर्ता को _____ रु. (_____ रु. मात्र) की धनराशि ऋण रूप में प्रदान की जाएगी, उधारकर्ता प्राधिकरण के साथ इस बात पर सहमत है कि (1) वह उक्त नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार अपने वेतन में से मासिक कटौती के माध्यम से उक्त राशि का भुगतान, उक्त नियमों में दी गई व्यवस्था अनुसार आकलित ब्याज के साथ करेगा और वह एतद्वारा प्राधिकरण को ऐसी कटौतियाँ करने के लिए प्राधिकृत करता है तथा (2) उक्त धनराशि का भुगतान प्राप्त हो जाने के एक महीने के अंदर वह मोटर वाहन की खरीद करने में उक्त ऋण की पूरी धनराशि को खर्च करेगा और यदि मोटर वाहन खरीद हेतु भुगतान की गई वास्तविक धनराशि उक्त ऋण की राशि से कम है तो वह शेष बची राशि को तत्काल प्राधिकरण को वापस कर देगा एवं (3) उधारकर्ता उक्त मोटर वाहन को उसे ऋण के रूप में प्रदान की जाने वाली धनराशि एवं उस पर लगने वाले ब्याज के लिए प्राधिकरण के पास जमानत के रूप में दृष्टिबंधक रखने हेतु उक्त नियमों में उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में एक दस्तावेज़ निष्पादित करेगा और अंततोगत्वा एतद्वारा इस बात की सहमति एवं घोषणा की जाती है कि यदि ऋण का भुगतान प्राप्त होने के एक माह के भीतर मोटर वाहन की खरीद नहीं की गई तथा उसे उपर्युक्त अनुसार दृष्टिबंधक नहीं रखा गया या उधारकर्ता उस अवधि में दिवालिया हो जाए या फिर प्राधिकरण की नौकरी छोड़ दे या उसकी मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में ऋण की पूरी राशि एवं उस पर लगने वाले ब्याज तत्काल बकाया एवं देय हो जाएंगे।

WHEREAS the Borrower has under the provisions of the General Financial Rules, 1963 (hereinafter referred to as the "said rules" which expression shall include any amendments thereof for the time being in force) applied to the Authority for a loan of Rs. _____ (Rs. _____ only) for the purchase of a _____ and WHEREAS the Authority has agreed to lend the said amount to the Borrower on the terms and conditions hereinafter contained NOW IT IS HEREBY AGREED between the parties hereto that in consideration of the sum of Rs _____ (Rs. _____ only) to be paid by the Authority to the Borrower, the Borrower, hereby agree with the Authority (1) to pay the Authority the said amount with interest calculated according to the said rules by monthly deduction from his salary as provided in the said rules and hereby authorizes the Authority to make such deductions and (2) within one month from the date of payment of the said sum to expend the full amount of the said loan in purchase of a motor vehicle or if the actual price paid is less than the loan to repay the difference to the Authority forthwith and (3) to execute a document hypothecating the said motor vehicle to the Authority as

security for the amount to be lent to the Borrower as aforesaid and interest in the form provided by the said rules and IT IS HEREBY LASTLY AGREED AND DECLARED THAT IF THE has not been purchased and hypothecated as aforesaid within one month from the date of payment of the said sum or if the Borrower within that period becomes insolvent or quits the service of the Authority or dies, whole amount of the loan and interest accrued thereon shall immediately become due and payable.

इसकी साक्षी में दृष्टिबंधनकर्ता/उधारकर्ता एवं _____ कार्यालय में कार्यरत श्री _____ ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से हस्ताक्षर किए ।

IN WITNESS WHEREOF the MORTGAGOR/BORROWER has hereunto set her/his hand and Shri _____ in the Office of _____ for and on behalf of the Airports Authority of India has hereunto set his hand.

निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त द्वारा हस्ताक्षर

Signed by the said in the presence of

1. _____

2. _____

(साक्षी के हस्ताक्षर/Signature of witnesses)

(उधारकर्ता का हस्ताक्षर एवं पदनाम)

(Signature and designation of the Borrower)

के द्वारा हस्ताक्षरित (उधारकर्ता का नाम एवं पदनाम)

Signed by (Name and designation of the Borrower)

नीचे उल्लिखित साक्षियों की उपस्थिति में

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से हस्ताक्षर

For and on behalf of the Airports

Authority of India in the presence of

1. _____

2. _____

(साक्षी के हस्ताक्षर/Signature of witnesses)

(अधिकारी का हस्ताक्षर एवं पदनाम)

(Signature and designation of the Officer)

फार्म जी एफ़ आर-24/GFR-24

(कृपया नियम 207 देखें /See Rule 207)

मोटर वाहन के लिए बंधक बांड का प्रपत्र- प्रारम्भिक अग्रिम

Form of Mortgage Bond for Motor Vehicle- Initial Advance

यह करार वर्ष दो हजार _____ के _____ माह की _____ तारीख को एक ओर _____ पुत्र/पुत्री _____ (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उधारकर्ता' कहा गया है, और इस अभिव्यक्ति में उसके वारिस, प्रशासक, निष्पादक तथा कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे) तथा दूसरी ओर **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण** (जिसे इसमें इसके पश्चात 'प्राधिकरण' कहा गया है और इस अभिव्यक्ति में इसके अध्यक्ष, सदस्य, कार्यपालक निदेशक गण तथा उनके उत्तराधिकारी एवं समनुदेशिनी शामिल होंगे) के बीच सम्पन्न किया गया है।

This INDENTURE made this _____ day of the month _____ of the year two thousand _____ BETWEEN _____ S/o/D/o _____ (hereinafter called the "Borrower" which expression shall include his heirs, administrators, executors and legal representations) of the one part and the **Airports Authority of India** (hereinafter called the "Authority", which expression shall include its Chairman, Members, EDs or their successors and assignees) of the other part.

जबकि उधारकर्ता ने केंद्र सरकार की सामान्य वित्तीय नियमावली, 1963 (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त नियमों' के रूप में अभिनिर्देशित किया गया है और इस अभिव्यक्ति में कुछ समय के लिए लागू कोई संशोधन या जुड़ाव भी शामिल है) के नियम 199 से 211 की शर्तों पर मोटर वाहन की खरीद/अथवा मोटर वाहन की खरीद के संबंध में सीमा शुल्क के भुगतान के लिए _____ रु. (_____ रु. मात्र) के ऋण हेतु आवेदन किया और उसे उक्त ऋण प्रदान कर दिया गया,

WHEREAS the Borrower has applied for and has been granted an advance of Rupees. _____ (Rs. _____ only) to purchase a Motor Vehicle /or to pay custom duty in respect of a (the) Motor Vehicle on the terms of Rules 199 to 211 of the General Financial Rules, 1963 of Central Govt. (hereinafter referred to as "the said rules" which expression shall include any amendments thereof or addition thereto for time being in force),

और जबकि उधारकर्ता को जिन शर्तों पर उक्त अग्रिम प्रदान किया गया है/था, उनमें से एक शर्त यह है/थी कि उधारकर्ता उसे ऋण रूप में दिए गए उक्त अग्रिम राशि की जमानत के रूप में उक्त मोटर वाहन को प्राधिकरण के पास दृष्टिबंधक रखेगा और जबकि उधारकर्ता ने उसे प्रदान किए गए अग्रिम की पूरी अथवा आंशिक राशि से उपर्युक्त अनुसार मोटर वाहन की खरीद कर ली है/अथवा सीमा शुल्क का भुगतान कर दिया है और उक्त मोटर वाहन का विवरण यहाँ नीचे लिखी गई अनुसूची में दिया गया है।

AND WHEREAS one of the conditions upon which the said advance has been/was granted to the borrower is/was that the borrower will/would hypothecate the said Motor to the Authority as surety for the amount lent to the borrower AND WHEREAS the borrower has purchased and/or paid custom duty with or partly with the amount so advanced as aforesaid the Motor vehicle particulars whereof are set out in the Schedule hereunder written.

अब इस करार की शर्त ऐसी है कि उक्त करार के अनुपालन में तथा पूर्वोक्त पर विचार करते हुए उधारकर्ता एतद्वारा यह वचन देता है कि वह प्राधिकरण को उपर्युक्त _____ रु (_____ रु. मात्र) की राशि या संबंधित तारीख तक भुगतान के लिए शेष बची राशि का भुगतान, इस पर लगने वाले ब्याज सहित, जिसकी गणना उक्त नियम के अनुसार की जाएगी, _____ रु (_____ रु. मात्र) की एक बराबर राशि के माध्यम से करेगा और यह राशि प्रत्येक महीने की पहली तारीख को जमा होगी। उधारकर्ता इस बात के लिए सहमत है कि भुगतान की यह राशि, उक्त नियमों में बताए गए तरीके से, उसके वेतन में से प्रति माह कटौती करके वसूली जाएगी और यदि उधारकर्ता बारह महीने से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भारत से बाहर चला जाता है या उसका स्थानांतरण भारत से कहीं बाहर हो जाता है और सक्षम प्राधिकारी ने भुगतान के लिए शेष बची अग्रिम की राशि

और/या ब्याज का भुगतान भारत में रूपयों में करने की अनुमति दे दी है तो ऐसी स्थिति में उधारकर्ता इस बात के लिए सहमत है कि वह प्राधिकरण को इस प्रकार बकाया राशि का भुगतान प्रत्येक माह की 15 तारीख तक लेखा अधिकारी/ स. प्रबंधक (वित्त), जिसकी बुक में उक्त अग्रिम का लेखा रखा हुआ है, के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित करेगा और उक्त करार का आगे और अनुपालन करते हुए उधारकर्ता संबंधित नियमों में दी गई व्यवस्था के अनुसार उक्त अग्रिम एवं उस पर देय ब्याज की जमानत के तौर पर, उक्त मोटर वाहन, जिसका विवरण यहाँ दी गई अनुसूची में लिखा हुआ है, को एतद्वारा प्राधिकरण को समनुदेशित और हस्तांतरित कर देगा।

NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that in pursuance of the said agreement and for the considerations aforesaid the Borrower doth hereby covenant to pay to Authority the sum of Rs. _____ (Rupees _____ only) aforesaid or the balance thereof remaining unpaid at the date of these presents by equal payments of Rs. _____/- (Rs. _____ only) each on the first day of the every month with interest on the sum for the time being remaining due and owing calculated according to the said rule and the Borrower doth agree that such payments may be recovered by monthly deductions from his salary in the manners provided in the said Rules or where, In the event of his proceeding on deputation out of India for a period exceeding twelve month or of his being transferred to a post outside India, the competent Authority has allowed repayment of the amount of advance remaining unpaid and /or interest as aforesaid on happening of such an event, in rupees in India, the Borrower doth hereby agree to pay to the authority such dues by remittance through Bank draft drawn by the 15th of every month in favor the accounts of the Officer/Asst. Manager/Finance in whose books the accounts of the aforesaid advance are kept, and in further pursuance of the said agreement the Borrower doth hereby assign and transfer unto the authority the Motor the Particulars whereof are set out in the schedule hereunto written by way of security for the said advance and the interest thereon as required by the said rules.

और उधारकर्ता एतद्वारा इस बात के लिए सहमत है और घोषणा करता है कि उसने उक्त मोटर वाहन की खरीद मूल्य राशि/देय सम्पूर्ण सीमा शुल्क राशि का पूरा भुगतान कर दिया है और वह पूर्ण रूपेण उसकी सम्पत्ति है तथा उसने उसे गिरवी नहीं रखा है तथा जब तक उस अग्रिम से संबंधित कोई भी राशि प्राधिकरण को भुगतान हेतु बकाया रहेगी, वह इस सम्पत्ति अथवा उक्त मोटर वाहन के स्वामित्व को न तो बेचेगा न गिरवी रखेगा और न किसी से साझा करेगा।

And the Borrower doth hereby agree and declare that he has paid in full purchase price of the said Motor Vehicle and /or the Entire customs duty payable and that the same is his absolute property and that he has not pledged and so long as any money remain payable to the Authority in Respect of the said advance will not sell, pledge or part with the property in or possession of the said Motor Vehicle.

और एतद्वारा इस बात के लिए सहमति दी जाती है और घोषणा की जाती है कि यदि मूलधन या ब्याज की उक्त किश्तों में से किसी किश्त का भुगतान या वसूली पूर्वोक्त ढंग से, उसके बकाया होने के बाद दस दिनों के अंदर नहीं की जाती है या यदि उधारकर्ता की मृत्यु हो जाती है अथवा किसी समय वह प्राधिकरण की सेवा से हट जाता है या यदि उधारकर्ता सम्पत्ति अथवा उक्त मोटर वाहन के स्वामित्व को बेच देता है, गिरवी रख देता है या किसी से साझा कर लेता है या फिर दिवालिया हो जाता है अथवा अपने लेनदारों के साथ कोई व्यवस्था कर लेता है या कोई व्यक्ति उधारकर्ता के खिलाफ किसी डिक्री या निर्णय के निष्पादन में कार्यवाही करता है तो उक्त मूलधन की पूरी राशि, जो उस समय देय और उक्त अनुसार परिकल्पित ब्याज सहित भुगतान हेतु शेष हो जाती है, तत्काल भुगतान के लिए बकाया हो जाएगी।

PROVIDED ALWAYS and it hereby agreed and declared that if any of the said installments of principal or interest shall not be paid or recovered in manner aforesaid within ten days after the same are due or if the Borrower shall die or at any time cease to be in Authority services or if the Borrower shall sell or pledge or part with the property in or possession of the said Motor Vehicle or become insolvent or make any composition or arrangement with his creditors or if any person shall take proceeding in execution of any decree or judgment against the Borrower the whole of the said principal sum which shall then be remaining due and unpaid together with interest thereon calculated as aforesaid shall forthwith become payable.

और एतद्वारा इस बात के लिए सहमति दी जाती है और घोषणा की जाती है कि यहां पहले उल्लिखित किसी घटना के घटित होने पर प्राधिकरण उक्त मोटर वाहन को जब्त कर अपने कब्जे में ले लेगा और उसे बिना हटाए या तो अपने कब्जे में रखेगा या फिर हटाकर उक्त मोटर को या तो सार्वजनिक नीलामी या फिर निजी संविदा के माध्यम से बेच देगा और बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि में से उक्त अग्रिम की ब्याज सहित बकाया राशि एवं इसके अंतर्गत अपने अधिकारों को मंटेन करने, डिफेंड करने या वसूली करने में आई अन्य सभी लागत, प्रभार, व्यय एवं किए गए भुगतान को अपने पास रखने के बाद यदि कोई राशि शेष बचती है तो उसे उधारकर्ता, उसके निष्पादक, प्रशासक या व्यक्तिगत प्रतिनिधियों को वापस कर दिया जाएगा।

AND IT IS HEREBY AGREED and declared that the Authority may on the happening of any the events hereinbefore mentioned seize and take possession of the said Motor Vehicle and either remain in possession thereof without removing the same or else may remove and sell the said Motor Vehicle either by public auction or private contract and may out of sale moneys retain the balance of the said advance the remaining unpaid and interest due thereon calculated as aforesaid and all costs, charges, expenses and payments properly incurred or made in maintaining, defending or realizing his rights hereunder and shall pay over the surplus, if any to the Borrower, his executors, administrators or personal representatives.

आगे यह भी कि उक्त मोटर वाहन को अपने कब्जे में लेने या उसे बेचने संबंधी प्राधिकरण की पूर्वोक्त शक्ति का प्राधिकरण के इस अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वह उधारकर्ता या उसके व्यक्तिगत प्रतिनिधियों पर भुगतान हेतु शेष बकाया राशि एवं ब्याज के लिए उन पर मुकदमा चला सके अथवा मोटर वाहन को बेचे जाने की स्थिति में यदि बिक्री से प्राप्त होने वाली कुल राशि बकाया कुल राशि से कम रहे और उधारकर्ता आगे इस बात के लिए सहमत है कि जब तक कोई भी राशि बकाया रहती है वह उस मोटर वाहन को नष्ट करने या उस मात्रा में विकृत करने की अनुमति नहीं देगा जितना कि वह तर्कसंगत टूट-फूट की वजह से विकृत हो सकता है तथा आगे यह कि उक्त मोटर वाहन में किसी प्रकार की टूट-फूट या दुर्घटना होने पर उधारकर्ता उसकी मरम्मत एवं उसे ठीक कराएगा ।

PROVIDED FURTHER that the aforesaid power of taking possession or selling of said Motor shall not prejudice the right of the Authority, to sue the Borrower or His Personal representatives for the said balance remaining due and interest or in the case of the Motor being sold the amount by which the net sale proceeds fall short of the amount owing AND THE Borrower hereby further agrees that so long as any moneys are remaining due and owing to the Authority he will not permit or suffer the said Motor vehicle to be destroyed or injured or to deteriorate in greater degree than it would deteriorate by reasonable wear and tear thereof AND Further that in the event of any damage or accident happening to the said Motor the Borrower will forthwith have the same repaired and made good.

अनुसूची/THE SCHEDULE

मोटर वाहन का विवरण/ Description of Motor : _____
निर्माता का नाम/Maker's name : _____
विवरण/Description : _____
सिलिंडरों की संख्या/No. of Cylinders : _____
इंजन नं./Engine No. : _____
चेसिस नं./Chasis No. : _____
लागत मूल्य/Cost Price : _____

निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त द्वारा हस्ताक्षर

Signed by the said in the presence of

1. _____

2. _____

(साक्षी के हस्ताक्षर/Signature of witnesses)

(उधारकर्ता का हस्ताक्षर एवं पदनाम)

(Signature and designation of the Borrower)

इसकी साक्षी में दृष्टिबंधनकर्ता/उधारकर्ता एवं प्रधानाचार्य कार्यालय, सीएटीसी, बमरौली, इलाहाबाद में कार्यरत श्री _____ ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से हस्ताक्षर किए ।

IN WITNESS whereof the MORTGAGOR/BORROWER has hereunto set her/his hand and Shri _____ in the Office of Principal, CATC, Bamrauli, Allahabad for and on behalf of the Airports Authority of India has hereunto set his hand.

(अधिकारी का हस्ताक्षर एवं पदनाम)

(Signature and designation of the Officer)

नीचे उल्लिखित साक्षियों की उपस्थिति में
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से हस्ताक्षर

For and on behalf of the Airports
Authority of India in the presence of

1. _____

2. _____

(साक्षी के हस्ताक्षर/Signature of witnesses)